मैं हूँ शिक्षक शिक्षा

जितेन्द्र कुमार पाटीदार*

शिक्षा राष्ट्र के चरित्र निर्माण की ताकत बननी चाहिए, और यह ताकत तब बनेगी जब शिक्षक यह समझ ले कि 'शिक्षा देना' कोई नौकरी या पेशा नहीं है, बल्कि यह 'जीवन धर्म' है। क्योंकि एक शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता बल्कि नयी पीढ़ी को सीख देने के लिए हमेशा प्रयासरत् रहता है। लेकिन शिक्षक-शिक्षा की वर्तमान दुर्बल और दयनीय स्थिति से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित है' जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित जस्टिस वर्मा आयोग (2012) ने अपनी रिपोर्ट द्वारा वैधानिक रूप से प्रमाणित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षक-शिक्षा के वर्तमान में चलने वाले प्रमुख कोर्सों में पारंपरिक ढंग से ज्ञान का कुछ अंश ही शामिल किया जाता है, जो न तो शिक्षा के बड़े लक्ष्यों व विषयों को ज्ञान से जोड़ते हैं और न ही कक्षा-कक्ष की वास्तविक स्थिति से। इसके लिए शिक्षक-शिक्षा निर्भर है – सरकारी तंत्र, समाज, शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षक प्रशिक्षकों एवं विद्यार्थी-शिक्षकों तथा आकलन की स्थितियों आदि पर। जस्टिस वर्मा आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर वास्तविक रूप में अमल करने के लिए निर्देशित किया गया है। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए केंद्र व राज्य सरकारें शिक्षक-शिक्षा के प्रति संवेदनशील हो गई हैं। इस मुहिम में सरकारें, समाज, प्रशासन एवं प्रबंधन आदि मिलकर शिक्षक-शिक्षा का कायाकल्प करने में लग गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विद्यार्थी-शिक्षकों एवं पालकों (समाज) की है, जो शिक्षक-शिक्षा को गंभीरतापूर्वक स्वीकारने के लिए तैयार हो तथा जहाँ भी शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता को कमज़ोर करने के प्रयास किए जाएँ, वहाँ पर पूर्ण सक्रियता के साथ विरोध करें। क्योंकि शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता की जड़ विद्यार्थी-शिक्षकों एवं पालकों में निहित है, जो शिक्षा के तमाम स्तरों में गुणवत्ता लाएगी, जिससे भौतिक व्यवस्थाएँ अपने आप गौण हो जाएँगी। अत: इस लेख में इन तमाम बिंदुओं को शिक्षक-शिक्षा द्वारा स्वयं व्यक्त करने का प्रयास किया गया है।

* *सहायक प्राध्यापक,* अध्यापक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली - 110016

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में कहा गया है कि "किसी समाज में शिक्षक के दर्ज़े से उसकी सांस्कृतिक-सामाजिक दृष्टि का पता लगता है।" आगे कहा गया है कि "कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियाँ बनानी चाहिए, जिनसे शिक्षकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले।" शिक्षकों को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वे नए प्रयोग कर सकें और संप्रेषण की उपयुक्त विधियाँ और अपने समुदाय की समस्याओं और क्षमताओं के अनुरूप नए उपाय निकाल सकें। साथ ही, शिक्षकों की शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और इसके सेवापूर्व और सेवाकालीन अंशों को अलग नहीं किया जा सकता। शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हों और ऐसी हों जिनसे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षण-व्यवसाय की ओर आकृष्ट हों। अर्थात् मेरे (शिक्षक-शिक्षा) *उत्तरोत्तर विकास एवं गुणवत्ता का खाका 1986* की शिक्षा नीति व उसके पहले की समितियों एवं आयोगों में खींच लिया गया था। फिर भी, समाज में निरंतर सामाजिक-आर्थिक बदलाव होने व सरकारें आने व जाने के कारण मुझे समय-समय पर विभिन्न समितियों एवं आयोगों जैसे–*शिक्षा आयोग-1966, शिक्षक शिक्षा आयोग-1985, आचार्य राममूर्ति आयोग-1990, यशपाल आयोग-1993, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, जस्टिस वर्मा आयोग (जेवीसी)-2012* आदि द्वारा सुधार एवं संवर्धन के लिए कहा गया जिनका मैं बीच-बीच में उल्लेख भी करूँगी। लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं निर्भर हूँ–सरकारी तंत्र पर, समाज पर, शैक्षिक व्यवस्था पर, शिक्षक प्रशिक्षकों पर, विद्यार्थी-शिक्षकों पर, आकलन की स्थितियों पर, अभिभावकों के सहयोग पर, भौतिक संसाधनों पर, धन पर, आदि-आदि।

शुरुआत सरकारी तंत्र से करती हूँ। देश के विभिन्न राज्यों में मुझे पेशागत रूप में अपनाने वाले स्कूली शिक्षकों को अनेक नाम व रूपों में **पैरा शिक्षक** (पैरा शिक्षक वे शिक्षक हैं, जिन्हें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में संविदा पर और नियमित शिक्षक संवर्ग से भिन्न निबंधन और शर्तों पर नियुक्त किया गया है, पैरा शिक्षकों के कुछ उदाहरण हैं - आंध्रप्रदेश में विद्या स्वयं सेवक, नगर शिक्षक/पंचायत शिक्षक, बिहार में प्रखंड शिक्षक, रहबर-ए-तालीम/संविदा शिक्षक/तृतीय शिक्षक, जम्मू और कश्मीर में झोनल ज्ञान साधक व्यक्ति/तृतीय शिक्षक के प्रतिस्थापक, मध्यप्रदेश में संविदा शिक्षक, महाराष्ट्र में शिक्षा सेवक, उड़ीसा में सहायक शिक्षक, राजस्थान में शिक्षा सहयोगी, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में शिक्षा मित्र, छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मी, अतिरिक्त पैरा शिक्षक, महिला पैरा शिक्षक, झारखंड में पैरा शारीरिक शिक्षक; आदि) नियुक्त करने से मेरा पेशागत सम्मान खत्म हो गया है। जबकि लगभग तीन-चार दशक पूर्व समाज में, मैं पेशागत रूप से सर्वमान्य थी। समाज के प्रत्येक छोटे व बड़े विषयों पर निर्णय लेने में शिक्षकों की सहायता ली जाती थी। यहाँ तक की शिक्षकों द्वारा लिए गए निर्णय समाज के सभी लोग सहजता से स्वीकार कर लेते थे।

मेरी गुणवत्ता पर *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005* में कहा कि एक शिक्षक, सीखने-सिखाने की परिस्थितियों में उत्साहवर्धक, सहयोगी तथा सीखने को सहज बनाने वाला बने जो अपने विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभाओं की खोज में, उनकी शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमताओं को पूर्णता तक जानने में, उनमें अपेक्षित सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों तथा चरित्र के विकास में एवं ज़िम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने में समर्थ बनाएँ।' इसी कड़ी में मेरी गुणवत्ता में सुधार का प्रयास *शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009* में किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 23 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का पालन करते हुए *राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई)* ने दिनांक 23 अगस्त, 2010 और दिनांक 29 जुलाई, 2011 को अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित की गईं थीं। इसके अलावा इसमें यह भी व्यवस्था की गई थी कि किसी विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक *शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009* की धारा-2 के खंड (ढ) में निर्दिष्ट है कि उसे *शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)* में उत्तीर्ण होना चाहिए। जिसका आयोजन एनसीटीई द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा। *शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)* का उद्देश्य है कि यह – 1. भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर और मानक लाएगा। 2. इन संस्थानों से शिक्षक, शिक्षा संस्थानों और विद्यार्थी-शिक्षकों को अपने निष्पादन स्तरों में आगे सुधार के लिए प्रेरित करेगा। 3. इससे सभी साझेदारों को एक सकारात्मक संकेत जाएगा कि सरकार शिक्षण गुणवत्ता पर विशेष ज़ोर दे रही है। केंद्रीय स्तर पर *शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)* संचालित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह ज़िम्मेदारी *केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड* को दी गई। जिसे *केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी)* कहा गया।

लेकिन वर्तमान रुझान का आकलन **सीटीईटी** के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों की रुचि में कमी आने से लगाया जा सकता है। **सीटीईटी** के लिए बीते साल आवेदन करने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों की संख्या 8.26 लाख थी, जबकि इस साल सितंबर, 2014 में यह आंकड़ा 6.98 लाख हो गया, अर्थात् 1.28 लाख आवेदकों की कमी आई। (07 अक्तूबर, 2014, हिन्दुस्तान)

सरकारी तंत्र यानि केंद्र या राज्य शासन व उसकी नीतियाँ तथा उनके द्वारा नियंत्रित संवैधानिक संस्थान आते हैं। यहाँ पर मैं प्रमुखतया: तीन संस्थानों के नाम लेना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं *राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई)* (संसद के एनसीटीई एक्ट, 1993 के तहत गठित) की बात करती हूँ, यह संवैधानिक संस्था मेरे संस्थानों के लिए कैसे भौतिक एवं मानवीय संसाधन होंगे तथा क्या पाठ्यचर्या होगी, का निर्धारण करती है। इस संस्थान द्वारा मेरे संस्थानों को खोलने एवं मेरे कोर्स चलाने के लिए आदर्श मानक एवं मानदंड बनाए गए हैं, लेकिन मुख्यत: मेरे लिए निजी संस्थान खोलने वाले भद्र लोग इन आदर्श

मानकों एवं मानदंडों को अपने अनुसार क्रियान्वित करते हैं, जिसमें सामान्यत: एनसीटीई का नियंत्रण नहीं रहा। जैसे, संस्थान प्रारंभ होने से पूर्व निरीक्षण करना, यदि यह निरीक्षण सख्ती से किया जाए, तो शायद मेरी व मेरे संस्थानों की गुणवत्ता की शुरूआत यहीं से प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा, राज्य शासन द्वारा मेरे संस्थान खोलने से पूर्व गंभीरता से निरीक्षण कर एन.ओ.सी. प्रदान करना तथा तीसरी स्थिति, मुझे वास्तविक रूप से क्रियान्वित करने एवं मेरे आकलन के प्रति ज़िम्मेदारी जिस संस्थान की है, वह है बोर्ड/विश्वविद्यालय। यदि बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मेरे संस्थानों की सम्बद्धता से पूर्व बिना किसी रियायत के निरीक्षण कर, मेरे योग्य संस्थान को संबद्धता प्रदान की जाए, तो शायद मेरी गुणवत्ता के स्तर का पता लग जाएगा| साथ ही, समय-समय पर उपरोक्त तीनों संस्थानों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाए तो मेरी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी|

अब मैं समाज की बात करती हूँ, यह सही कहा गया है कि समाज का विकास मनुष्य का शिक्षा के प्रति जागरुक होने तथा उसे अनौपचारिक, औपचारिक व औपचारिकोत्तर तरीके से प्राप्त करने से होता है। यहाँ पर मैं विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा की बात करूँगी, जो मेरी गुणवत्ता पर पूर्णत: निर्भर है। परंतु समाज आज कुछ हद तक तो स्कूली शिक्षा के प्रति संवेदनशील है, लेकिन मेरी ओर कोई ध्यान नहीं देता। समाज के अधिकतर ज़िम्मेदार नागरिक मुझे प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ असंवेदनशील शर्तों के साथ जैसे-संस्थान नियमित न आना, प्रैक्टिस टीचिंग न करना, संदर्भित पुस्तकों के बजाय कुँजी/गाईड पढ़ना, प्रोजेक्ट व शोध कार्य नकल कर प्रस्तुत करना आदि-आदि| यदि इसी तरह मुझे स्वीकार करेंगे, तो एक दिन स्कूल शिक्षा की स्थिति बहुत चिंतनीय हो जाएगी, तब कहीं जाकर समाज की चेतना जाग्रत होगी। यही बात *यशपाल आयोग (1993)* ने कही कि शिक्षक को तैयार करने के कार्यक्रम अपर्याप्त हैं, इसलिए स्कूलों में सीखने की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। शिक्षकों के प्रति गंभीरता को लेकर माननीय *प्रधानमंत्री* ने अपने संदेश में *शिक्षक दिवस (05 सितंबर, 2014)* के अवसर पर कहा कि "समाज में शिक्षक के महत्व को उभारने की बहुत ज़रूरत है और समाज में शिक्षकों के सम्मान को फ़िर से स्थापित करना होगा, तभी शिक्षक नयी पीढ़ी को सांचे में ढाल सकेंगे।" इसके अलावा उन्होंने समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों को सलाह दी कि वे अपने पास के स्कूल में सप्ताह में कम से कम एक पीरियड पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैं समाज से आग्रह करती हूँ कि मेरे प्रति गंभीर हो जाएँ, क्योंकि मेरी गुणवत्ता से स्कूल शिक्षा में अपने आप गुणवत्ता आ जाएगी।

अगली बात शैक्षणिक व्यवस्था यानि शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन की है। मुझे क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक एवं प्रबंधन स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन वे भी मेरे प्रति गंभीर नज़र नहीं आते। जबकि शिक्षक दिवस के एक दिन पूर्व माननीय *प्रधानमंत्री (04 सितंबर, 2014) ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार* प्राप्त शिक्षकों से कहा कि "शिक्षा देना कोई नौकरी या पेशा नहीं है, बल्कि यह जीवन धर्म है।"

उन्होंने कहा कि "एक शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता बल्कि नयी पीढ़ी को सीख देने के लिए हमेशा प्रयासरत् रहता है।" परंतु मेरे सेवाकालीन (सर्वशिक्षा अभियान फ्रेमवर्क-2011 के अनुसार प्रत्येक स्कूली शिक्षक को प्रतिवर्ष 20 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है) रूप को किसी उत्सव की तरह मनाया जाता है, जिसमें सभी अधिकारी व कर्मचारी तथा मेरे कारण अपनी आजीविका चलाने वाले मेरे प्रिय शिक्षक उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। जो बढ़ चढ़कर तमाम औपचारिकताएँ पूरी कर, मेरे नवाचारों एवं अभ्यासों से दूर भागते हैं। इस प्रकार मेरे सेवाकालीन रूप अर्थात् शिक्षक प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं देते, केवल सरकार द्वारा आवंटित धन को खर्च कर मुझे कितने शिक्षकों तक पहुँचाया गया, उसके आंकड़ों की जादूगरी प्रस्तुत की जाती है तथा ऐसे कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं, लेकिन मेरी गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं आया।

इसके अलावा शिक्षकों के निरंतर पेशागत विकास के लिए दूरस्थ शिक्षा पर ज़ोर दिया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में देश में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले संस्थानों की अधिगम सामग्री विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों के लिए न तो अद्यतन है और न ही समझने योग्य| हिंदी भाषा में विकसित अधिगम सामग्री को पढ़ना व समझना बहुत जटिल है, क्योंकि इंग्लिश के तकनीकी शब्दों का हिंदी अनुवाद व्यावहारिक भाषा में न होकर साहित्यिक भाषा में होने से विषयवस्तु बोझिल व नीरस लगती है। यदि ऐसी अधिगम सामग्री के विकास में व्यावहारिक भाषा व दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों का प्रयोग किया जाए, तो शायद अधिगम सामग्री पढ़ने योग्य एवं रुचिकर होगी तथा शिक्षकों के निरंतर पेशागत विकास में सहायक होगी। *कोठारी आयोग (1964-66) एवं जेवीसी (2012)* में कहा गया "कि शिक्षक शिक्षा को, उच्च शिक्षा प्रणाली का हिस्सा होना चाहिए अर्थात् सभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालयों के आधीन होने चाहिए।" इसी आधार पर देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि "विश्वभर में अच्छे शिक्षकों की बहुत माँग है।" अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंनें पूछा कि "क्या भारत अच्छे शिक्षकों को विश्वभर में भेजने का सपना नहीं देख सकता?" (05 सितंबर, 2014) अत: मुझे प्राप्त करने वाले शिक्षक तथा क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मेरे प्रति संवेदनशील होकर कार्य करना होगा, तभी सही मायने में हम राष्ट्र निर्माण (स्कूली बच्चों की शिक्षा) में योगदान दे सकेंगे। यही बात माननीय प्रधनमंत्री ने कही कि "शिक्षा राष्ट्र के चरित्र निर्माण की ताकत बननी चाहिए।" (05 सितंबर, 2014)

अब, मैं मेरे आकलन के तरीकों की बात करती हूँ, मेरे कुछ कोर्सों में कुछ मात्रा में गंभीरतापूर्वक आकलन किया जाता है, लेकिन कुछ कोर्सों में तो आकलन ही नहीं होता हैं, मेरा आकलन करने वाले बाह्य परीक्षक (शिक्षक प्रशिक्षक) विशेषकर प्रैक्टीकल परीक्षाओं में गिफ़्ट पाकर गंभीर रूप से आकलन न कर (यहाँ तक कि विद्यार्थी-शिक्षकों की अनुपस्थिति में) आकलन शीट पर नंबर देकर पास कर देते हैं। यदि इसी तरह पेशागत लोग मेरा आकलन करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर मेरा सम्मान

कम होगा। अत: मेरा पेशागत लोगों से आग्रह है कि वे मेरे आकलन के नवीन तरीके अपनाकर मेरी गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करें। जेवीसी (2012) में मेरे संस्थानों में शोध को बढ़ावा देने के लिए निवेश में वृद्धि पर ज़ोर दिया गया है। लेकिन वास्तव में मेरे संस्थानों में प्राय: देखा गया है कि एम.एड. स्तर पर किया जाने वाला शोध बहुत ही आडंबरपूर्ण होता है। विद्यार्थी-शिक्षक मेरे संस्थानों के ज़िम्मेदार लोगों की पूर्ण भागीदारी से पूर्व किए गए शोधों की नकल कर नए आवरण पृष्ठ में लघुशोध प्रबंध तैयार कर विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन के लिए जमा करते हैं। इस प्रकार देश में विशेषकर अधिकतर मेरे निजी संस्थानों में न तो मुझ पर कोई शोध हो रहा है, और न ही नवाचार। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि "अगर समाज को तरक्की करनी है, तो शिक्षकों को हमेशा समय से दो कदम आगे रहना चाहिए।" उन्होंने कहा कि "शिक्षकों को विश्व में हो रहे बदलावों को समझने की आवश्यकता है और नयी पीढ़ी में उत्सुकता पैदाकर उन्हें उन बदलावों के लिए तैयार करना चाहिए" (04 सितंबर, 2014)। अत: मेरा आग्रह है कि मेरा शोध व नवाचार के रूप में मेरा विकास करने के लिए मेरे सभी कोर्सों में विद्यार्थी-शिक्षकों को अवसर प्रदान किया जाए। जिससे स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने-सिखाने में मदद मिलेगी।

विशेषकर, देश में मेरे लगभग 93.05 फ़ीसदी निजी संस्थान हैं, जिनमें 93.98 फ़ीसदी विद्यार्थी-शिक्षक अध्ययन करते हैं (एनसीटीई द्वारा जारी 15 मार्च, 2013 के आँकड़ों के आधार पर)। इन संस्थानों में आने वाले सामान्यत: औसत से अधिक विद्यार्थी-शिक्षक केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए आते हैं। वे निजी संस्थानों को सरकार द्वारा तय शुल्क से अधिक शुल्क का लालच देकर (निजी संस्थान भी बराबर ज़िम्मेदार हैं) नियमित संस्थान न आना, प्रेक्टीकल कार्य न करना तथा प्रेक्टिस टीचिंग न करना एवं यहाँ तक की प्रेक्टीकल व प्रेक्टिस टीचिंग की परीक्षा में अनुपस्थित रहकर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। रही बात मेरी लिखित परीक्षा की, इसमें भी मान्यता/संबद्धता प्रदान करने वाले बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा निष्पक्ष परीक्षा न लेकर निजी संस्थानों के दबाब में आकर सरल प्रश्न-पत्र दिए जाते हैं, जिससे विद्यार्थी-शिक्षक कुँजी/गाईड से कुछ घंटे पढ़कर परीक्षा में न्यूनतम नंबर प्राप्त कर, पास हो जाते हैं, और इसी तरह वह मुझे पेशागत रूप में पाने के लिए यक्ष प्रयास करते हैं, इसका उदाहरण वर्ष 1999-2000 का हरियाणा राज्य का शिक्षक भर्ती घोटला है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम, आप मुझे पेशागत रूप से अपनाने से पहले ली जाने वाली केंद्रीय व राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणामों से लगा सकते हैं, जिसमें महज कुछ फ़ीसदी विद्यार्थी-शिक्षक ही सफ़ल हो पाते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सितंबर, 2014 में आयोजित सीटीईटी परीक्षा के परिणाम में केवल 5.63 फ़ीसदी विद्यार्थी-शिक्षक सफ़ल हुए, अर्थात् 6,65,413 विद्यार्थी-शिक्षकों में से केवल 37,472 विद्यार्थी-शिक्षक पास हुए। जिसमें प्रथम पेपर (कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनने के लिए) में 2,06,145 विद्यार्थी-शिक्षकों में से केवल 24,629 यानि 11.95

फ़ीसदी विद्यार्थी-शिक्षक तथा द्वितीय पेपर (कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षक बनने के लिए) में 4,59,268 विद्यार्थियों में से केवल 12,843 यानि 02.80 फ़ीसदी विद्यार्थी-शिक्षक पास हुए। (08 अक्तूबर, 2014 टाइम्स ऑफ़ इंडिया) इस तरह, आप मुझे प्राप्त करने वाले व पेशे के रूप में अपनाने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों तथा संस्थानों की कार्यप्रणाली, व्यवस्था व प्रबंधन के स्तर को समझ सकते हैं।

कोठारी आयोग (1964-66) ने व्यापक इन्टनर्शिप कार्यक्रमों के साथ समन्वित कोर्स की बात कही तथा कहा कि "प्रत्येक सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा संस्थान के साथ एक स्कूल होना चाहिए। जो प्रयोगशाला की तरह होगा, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी-शिक्षकों को अपने विचारों एवं अपनी क्षमताओं तथा कौशलों में निखार लाने का अवसर मिलेगा।" एनसीएफ़टीई-2009 में भी यह कहा गया है कि "दो वर्ष के कोर्स में प्रत्येक सप्ताह में 4 दिन व न्यूनतम 6 से 10 सप्ताह का इन्टनर्शिप कार्यक्रम होना चाहिए।" परंतु देश में अधिकतर मेरे संस्थान ग्रामीण या शहरी बसावटों से कई किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं, जहाँ पर न तो आवागमन के सुगम साधन हैं और न ही प्रयोगशाला के तौर पर विद्यार्थी-शिक्षकों के प्रैक्टिस के लिए कोई स्कूल है।

वैश्वीकरण व उदारीकरण के दौर में शिक्षा, उद्योग के रूप में उभरी है। जिसमें मेरे तमाम निजी संस्थान खूब फल-फूल रहे हैं, वे न्यूनतम (बिना) शिक्षक प्रशिक्षकों व अति न्यूनतम भौतिक संसाधनों के, कुछ लिपिकीय कर्मचारियों की मदद से संस्थान संचालित कर रहे हैं, उनका उद्देश्य केवल मेरे माध्यम से पैसा कमाना है। रही बात, निरीक्षणों की, तो वे पैसे व अपनी राजनैतिक/सामाजिक हैसियत के बल पर मैनेज कर लिए जाते हैं। ऐसे में यह संस्थान निरंतर तरक्की करते रहते हैं तथा मैं दुर्बल और दयनीय स्थिति में पहुँच गई हूँ।

इसी दुर्बल और दयनीय स्थिति पर देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर मेरी स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। जस्टिस वर्मा समिति (जेवीसी) ने अपनी रिपोर्ट (2012) में मेरे प्रति एनसीटीई के कार्य के तरीकों, मेरे संस्थानों के मानक एवं मानदंडों तथा मेरे तमाम कोर्सों पर कहा कि "शिक्षक शिक्षा के वर्तमान में चलने वाले प्रमुख कोर्सों में पारंपरिक ढंग से ज्ञान का कुछ अंश ही शामिल किया जाता है, जो न तो शिक्षा के बड़े लक्ष्यों व विषय के ज्ञान से जोड़ते और न ही कक्षा-कक्ष की वास्तविक स्थिति से। शिक्षक शिक्षा के कोर्सों एवं अन्य संबंधित सामग्री को एनसीएफ़टीई-2009 के अनुसार संशोधित करना अर्थात् पुनर्संरचना आदि पर सुझाव दिए।" इन्हीं सुझावों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर वास्तविक रूप में अमल करने के लिए निर्देशित किया। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए केंद्र व राज्य सरकारें मेरे प्रति कुछ संवेदनशीलता दर्शा रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को अभिप्रेरित करने वाले संदेश में कहा कि "एक माली पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिस बगीचे में काम करता है, वहाँ जो खाद

डाली जाती है, उसकी दुर्गंध होती है लेकिन, उसके अंदर सामर्थ्य रहता है कि भगवान को भी पसंद आए, ऐसे फूलों का वो सर्जन कर देता है, एक अनपढ़ माली भी ऐसा कर सकता है, तो हमें परमात्मा ने कितने फूल दिए हैं। उन फूलों को हम कैसे संवारें, उन फूलों को भारत माँ के गले में कैसे अर्पित करें, ये अगर सपना हमारे शिक्षकों का रहेगा तो, मैं मानता हूँ कि देश और दुनिया को यह देश बहुत कुछ दे सकता है।" (05 सितंबर, 2014)

इस मुहिम में सरकारें, समाज, शैक्षिक व्यवस्था, प्रशासन एवं प्रबंधन आदि मिलकर मेरा कायाकल्प करने में आंशिक रूप से लग गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विद्यार्थी-शिक्षकों एवं पालकों (समाज) की है, जो मुझे गंभीरतापूर्वक स्वीकारने के लिए तैयार हों तथा जहाँ भी मेरी गुणवत्ता को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाए, वहाँ पर पूर्ण सक्रियता के साथ विरोध करें। क्योंकि मैं समाज को यह बताना चाहती हूँ कि मैं और मेरी गुणवत्ता की जड़ विद्यार्थी-शिक्षकों एवं पालकों में निहित है, जो शिक्षा के तमाम स्तरों में गुणवत्ता लाएगी, जिससे भौतिक व्यवस्थाएँ अपने आप गौण हो जाएँगी। यही बात माननीय प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कही कि "शिक्षकों के प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं" साथ ही उन्होंने कहा कि "विद्यार्थी व शिक्षक के बीच के आदरपूर्ण नाते को जीवन भर बनाए रखने पर ज़ोर दिया जाए। यदि विद्यार्थी व शिक्षक का नाता प्रगाढ़ बनता है, तो मैं नहीं मानता कि समस्त व्यवस्थाएँ जीवन बदलने के लिए रुकावट बनेंगी।" (05 सितंबर, 2014)

संदर्भ

एनसीईआरटी. आठवाँ अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण, सर्वेक्षण अरियों के लिए मार्गदर्शिका, एनसीईआरटी, नयी दिल्ली, पेज-9

_____. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005. एनसीईआरटी, नयी दिल्ली, 2006

एनसीटीई- नेशनल करिकूलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर ऐजुकेशन – टूवर्डस प्रिपेयरिंग प्रोफ़ेशनल एंड हयूमन टीचर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ऐजुकेशन, नयी दिल्ली, 2009

_____. पॉलिसी पर्सपेक्टिव इन टीचर ऐजुकेशन- क्रिटिक एंड डॉक्यूमेंटेशन, एनसीटीई, नयी दिल्ली, 1998

एमएचआरडी- विज़न ऑफ़ टीचर ऐजुकेशन इन इंडिया क्वालिटी एंड रेगुलेटरींग प्रसपेकटिव – रिपोर्ट ऑफ़ हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर ऐजुकेशन कॉनसीट्यूटेड बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया (वॉल्यूम: I) डिपार्टमेन्ट ऑफ़ स्कूल ऐजुकेशन एंड लिटरेसी एंड नेशनल कॉउंसिल फॉर टीचर ऐजुकेशन, नयी दिल्ली, 2012

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009

समाचार पत्र हिन्दुस्तान, 07 अक्तूबर, 2014

www.ctet.nic.in

www.mhrd.gov.in

www.pmindia.gov.in

www.ssa.nic.in

www.teindia.nic.in

www.timesofindia.indiatimes.com